झाँसी विकास प्राधिकरण में ठेकेदार/फर्म के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु विवरणिका

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

कमिश्नरी कैम्पस, सर्किट हाउस के सामने, झाँसी
बेवसाईट–**www.jdaup.in**

पंजीकरण आवदेन फार्म संख्या..........................

ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण आवेदन पत्र

सिविल तथा बिजली कार्य हेतु................श्रेणी पंजीकरण वर्ष 20 –20 के लिए आवेदन पत्र

नाम/फर्म..

पता कार्यालय..

....

आधार कार्ड/जी0एस0टी0 की प्रति संलग्न करें।

दूरभाष/मोबाईल नम्बर......................................

(उपरोक्त पते की प्रमाणिकता हेतु टेलीफोन(बी.एस.एन.एल)/विद्युत बिलों की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि या मकान/कार्यालय मालिक के किराया रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

1. स्वामित्व/पार्टनशिप नवीनतम डीड (संलग्नक–1)
2. फार्म में कार्यरत कुल स्टाफ का पूर्ण विवरण(संलग्नक–2)नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षिक योयता, अवधि, पेस्लिप या पे–रोल की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में हैसियत प्रमाणपत्र (T-5) जिलाधिकारी के स्वयं के स्तर से जारी हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक जिसके फर्म का खाता संचालित किया जाता हो, के द्वारा निर्गत 'चल सम्पत्ति हैसियत पत्र (Liquid asset letter) जो गत तीन माह पूर्व का न हो, की मूल प्रति (संलग्नक–3)
4. पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र (T-4) (संलग्नक–4)
5. आयकर विभाग से पिछले वर्ष का क्लिरिंग सर्टिफिकेट (संलग्नक–5)
6. पिछले तीन वर्षों की आय का विवरण (संलग्नक–6)
7. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन (झांसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत् नही है) (संलग्नक–7)
8. उपलब्ध मशीनरी की सूची(संलग्नक–8)'डी' श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर।
9. पिछले तीन वर्षो में किये गये निर्माण/विकास कार्य की सूची प्रमाणों सहित (संलग्नक–9)
10. फर्म के पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ अनुभव हेतु अपेक्षित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां (श्रेणी के अनुसार) जो नियमावली की पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–3 के बिन्दु–22 में उल्लिखित है, के अनुसार ही संलग्न करे। (संलग्नक–10)
11. कोई व्यक्ति सिविल/विद्युत यांत्रिक अभियान्त्रिकी में डिग्री अथवा तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक है तो उसे क्रमशः श्रेणी 'सी', 'डी' श्रेणी में पंजीकरण हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नही है। किसी फर्म के मालिक अथवा पार्टनर होने की दशा में यह नियम लागू नही होगा।
12. परिशिष्ठ संख्या–1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ का प्रमाण–पत्र(संलग्नक–11)
13. बिजली के कार्यो के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद लखनऊ द्वारा जारी 'क'(संलग्नक–12)
14. मैं...ने झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निर्माण/विकास कार्यो हेतु विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र व विवरण पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा उसमें उल्लिखत समस्त बिन्दुओं से मैं सहमत हूँ।

झांसी विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तेः—

1. भवनों के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकरण ठेकेदार वर्ष 20 —20 हेतु नियमानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु पात्र होंगेः—

	कार्य	क्लास ए.	क्लास बी.	क्लास सी.	क्लास डी.	क्लास ई.
i	ब्रिजेज और रोडस	असीमित	रू. 2.00 करोड़	रू. 75.00 लाख	रू. 40.00 लाख	रू. 5.00 लाख
ii	बिल्डिंग, सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	रू. 2.00 करोड़	रू. 75.00 लाख	रू. 40.00 लाख	रू. 5.00 लाख
iii	इलैक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	तदैव	रू. 5.00 लाख	रू. 2.50 लाख	रू. 1.00 लाख	—
iv	रोड साईनिज वर्क्स	तदैव	रू. 5.00 लाख	—	—	—

2. निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ठ संख्या—1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
3. निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ठ संख्या—2 के अनुसार मशीनरी होने के अनिवार्यता होगी।
4. पंजीकृत ठेकेदारों/फार्मो एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्यालय एवं कार्य स्थल पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं शस्त्र लेकर आना एवं प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा। अपरिहार्य एवं स्वयं सुरक्षा कारणों से लेकर आने की पूर्व स्वीकृति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से लेनी होगी।
5. पुराने पंजीकृत ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण सम्बन्धित अभियंत्रण खण्ड से सत्यापित कराकर देना होगा।
6. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण को होगा।
7. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) झांसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत नही है। ब्लड रिलेशन का अर्थ है कि बाप, मां, भाई—बहन, ताऊ, चाचा, बेटा—बेटी और पत्नि इत्यादि यदि इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा। किसी ऐसी स्थिति का पंजीकरण जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद लिया जायेगा।
8. जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण—पत्र परिशिष्ठ—3 के अनुसार से देना होगा।
9. जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण—पत्र एवं निवास स्थान का पता पंजीकरण सत्यापन कराकर देना होगा। जो कि एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।
10. प्रार्थना पत्र के साथ लगाई जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए।
11. सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेगे जो कि प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
12. विकास से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा हस्ताक्षर, अनुबंध, पत्राचार एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।
13. जिन ठेकेदारों द्वारा निविदा क्रय की जायेगी वह ठेकेदार निविदा डालने के लिये बाध्य होगा, का शपथ पत्र देना होगा।
14. पंजीकृत शुल्क संलग्न परिशिष्ठ संख्या—3 के अनुसार देय होगा, जो प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।
15. वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने का अथवा अन्य किन्हीं कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष को सुरक्षित होगा।
16. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित ह
17. झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों पर भविष्य में भी समय—समय पर जारी किये गये आदेश मान्य होगें।
18. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक भी काम ले सकेगें।
19. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत तीन वर्षो में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न प्रारूप में देना होगा जो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित होना आवश्यक है।

20. जमानत राशि निर्माण कार्य/विकास कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद अनुबंध की शर्तो के अनुसार वापिस की जायेगी।

21. ठेकेदार द्वारा आयकर विभाग से पिछले वर्ष का इन्कम टैक्स क्लियरिंग सर्टिफिकेट देना होगा।

22. प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु निम्न तालिका में दर्शाये गये कम से कम पांच कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव होना चाहियेः—

	वर्गीकरण	**श्रेणी 'ए'**	**श्रेणी 'बी'**	**श्रेणी 'सी'**	**श्रेणी 'डी'**
1. (1)	भवन	रू. 20.00 लाख	रू. 10.00 लाख	रू. 2.00 लाख	रू 0.50 लाख
(2)	सेतु	रू. 20.00 लाख	रू. 10.00 लाख	रू. 2.00 लाख	रू 0.50 लाख
(3)	मार्ग	रू. 20.00 लाख	रू. 10.00 लाख	रू. 2.00 लाख	रू 0.50 लाख
2.	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रू. 0.25 लाख	रू. 0.05 लाख	रू. 0.02 लाख	—
3.	विद्युत कार्य	—	—	—	—
4.	यांत्रिक कार्य	रू. 0.25 लाख	रू. 0.05 लाख	रू. 0.02 लाख	

नोटः—उपरोक्त वर्णित राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं में किये गये कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने चाहिये। जिसका प्रमाण पत्र अधिशासी अभियंता (संबन्धित) का देना होगा। किन्तु झांसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत ठेकेदारों के लिये प्रत्येक श्रेणी निर्धारित अवधि आदि अनुमन्य होगी।

23. ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिये किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु ठेकेदारों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपरोक्तानुसार सभी शर्तों के अनुसार उन्हे आवेदन पत्र देना होगा। यदि 31 मार्च तक किसी ठेकेदार से नवीनीकरण हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रार्थना पत्र प्राप्त नही होगा तो उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई विवाद/दावा (क्लेम) मान्य नही होगा।

24. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में माह अप्रैल में जब तक पहले से पंजीकरण ठेकेदारों के नवीनीकरण अथवा नये ठेकेदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नही हो जाती तब तक विभिन्न श्रेणी में पहले से पंजीकृत ठेकेदार 30 अप्रैल के बाद केवल वही ठेकेदार जिन्होने नवीनीकरण हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी है, ही निविदा क्रय/डालने हेतु अधिकृत होगें।

25. प्राधिकरण में कराये जाने वाले विशेष श्रेणी के कार्य जिनमें अधिकतर नानशिड्यूल मदों का समावेश हो जैसे औद्यानिक कार्य वातानुकूलन, वाहय एवं आंतरिक सजावट का कार्य, फर्नीचर, झूले व मूर्ति आदि की आपूर्ति व फिक्शिंग का कार्य फैब्रिकेशन का कार्य फील्ड का भौतिक सर्वेक्षण के कार्यो के सम्पादन के लिये प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए फर्मो का होना अनिवार्य नही होगा। उक्त कार्यो की निविदा विशेष रूप से निर्दिष्ट कार्यो को सम्पादित करने वाली प्रतिष्ठित फर्मो के मध्य आमंत्रित की जायेगी।

26. प्राधिकरण में पंजीकृत ऐसी फर्मे जिनका पता झांसी शहर से बाहर एवं अन्यत्र जिले का हो, उन फर्मो को कार्य आवंटन के पश्चात झांसी शहर में एक अस्थायी/कार्यालय की सूचना कार्य आवंटन के पश्चात प्राधिकरण कार्यालय को देनी होगी।

27. विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत होने वाले ठेकेदार/फर्मो के लिए निर्धारित जमानत राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार होगी जो राष्ट्रीयकृत बैंक सी RTGS/NEFT के रूप में होगी जो झांसी विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी।

परिशिष्ट संख्या–1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यों पर निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा :–

श्रेणी	विशिष्ट एवं 'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
1	2	3	4	5
भवन निर्माण सड़कें हेतु वाटर सप्लाई एवं सीवर	एक सिविल इंजीनियर, डिग्री होल्डर तथा एक लाइसेंस मेंम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर तथा एक लाइसेंस प्लम्बर	एक लाइसेंस प्लम्बर	–
विद्युत कार्य	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर तथा एक लाइसेन्ड इलैक्ट्रशियन	एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर तथा एक लाइसेन्ड इलैक्ट्रशियन	एक लाइसेन्सड इलैक्ट्रशियन	–

परिशिष्ट संख्या–2

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची :–

क्रमांक	मशीनरी का नाम	विशिष्ट एवं 'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी
1.	कंकरीट मिक्चर	2	1	1
2.	वाईब्रेटर (प्लेट एवं पिन)	3	2	1
3.	डीजल पम्पस	2	1	1
4.	डीजल जनरेटिंग	1	–	–
5.	ट्रेक्टर ट्रॉली सहित	1	–	–
6.	शीपफुट रोड रोलर केवल सड़क के लिए	1	–	–
7.	ट्रक (ड्रम्पर ,लोडर)	2	–	–
8.	आटोलेबलिंग मशीन	2	1	1
9.	एक्सकेवेटर	1	–	–

परिशिष्ट संख्या–3

सिविल/बिजली के कार्य के लिये हैसियत एवं जमानती राशि :–

	कैटेगरी	क्लास 'ए'	क्लास 'बी'	क्लास 'सी'	क्लास 'डी'	क्लास 'ई'
I	ब्रिजेज और रोड्स	रू. 50.00 लाख	रू. 40.00 लाख	रू. 20.00 लाख	रू. 5.00 लाख	–
II	बिल्डिंग, सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	–
III	इलैक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	रू. 4.00 लाख	रू. 2.00 लाख	रू. 1.00 लाख	–	–
IV	रोड साईनेज वर्क्स	रू. 15.00 लाख	रू. 2.50 लाख	–	–	–
V	लेवर वर्क	–	–	–		रू. 1.00 लाख

जमानत धनराशि

	कैटेगरी	क्लास 'ए'	क्लास 'बी'	क्लास 'सी'	क्लास 'डी'	क्लास 'ई'
I	ब्रिजेज और रोड्स	रू. 5.00 लाख सचिव के पद नाम से बन्धक	रू. 2.00 लाख सचिव के पद नाम से बन्धक	रू. 1.00 लाख सचिव के पद नाम से बन्धक	रू. 50.00 हजार सचिव के पद नाम से बन्धक	–
II	बिल्डिंग, सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	–
III	इलैक्ट्रिक/मैकेनिकल वर्क्स	रू. 1.00 लाख सचिव के पद नाम से बन्धक	रू. 50.00 हजार सचिव के पद नाम से बन्धक	रू. 5.00 हजार सचिव के पद नाम से बन्धक	–	–
IV	मैकेनिकल वर्क्स	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	–
V	रोड साईनेज वर्क्स	रू. 2.50 लाख सचिव के पद नाम से बन्धक	रू. 37.50 हजार सचिव के पद नाम से बन्धक	–	–	–
VI	लेवर वर्क	–	–	–	–	रू. 25.00 हजार सचिव के पद नाम से बन्धक

—:पंजीकरण / नवीनीकरण राशि:—

श्रेणी	पंजीकृत शुल्क (रूपयों में)
1	**2**
'ए' श्रेणी	5,000.00 प्रति वर्ष
'बी' श्रेणी	3,000.00 प्रति वर्ष
'सी' श्रेणी	2,000.00 प्रति वर्ष
'डी' श्रेणी	1,000.00 प्रति वर्ष
'ई' श्रेणी	5,00.00 प्रति वर्ष

End of page